(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 20/2018

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री अब्दुल एजाज पुत्र अब्दुल अजीज उम्र 45 वर्ष जाति मुसलमान निवासी छीपाबडौद जिला बारां **(मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक)** मैसर्स लक्की किराना स्टोर, छीपाबडौद रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ

2– श्री सुनिल मतानी पुत्र कन्हैयालाल मतानी उम्र 38 निवासी हाउस नं0 1–बी–23 नया मॉर्डन टाउन कैथून रोड, थेकडा इण्डस्ट्रियल स्टेट कोटा (निर्माता व मालिक) मैसर्स स्वास्तिक नमकीन, शिव सागर कॉलोनी, कैथून रोड थेकडा जिला कोटा (राज.)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 23.10.2019

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.10.2017 को मैसर्स लक्की किराना स्टोर, छीपाबडौद रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री अब्दुल एजाज पुत्र अब्दुल अजीज **(मौक पर मौजूद विक्रेता व मालिक)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 12.10.2017 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन /2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ **नमकीन (श्री स्वास्तिक गोल्ड) 200 ग्राम पैक** में विक्रय हेतु रखी हुई थी। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **नमकीन (श्री स्वास्तिक गोल्ड) 200 ग्राम पैक** में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **नमकीन (श्री स्वास्तिक गोल्ड) 200 ग्राम पॉलिपेक** के 12 पैकेट को वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री अब्दुल एजाज पुत्र अब्दुल अजीज (मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक) को 300/– रूपये (अक्षरे तीन सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **नमकीन (श्री स्वास्तिक गोल्ड) 200 ग्राम पॉलिपेक** के 12 पैकिट को 4 नमूना भागो मे अलग–अलग कर प्लास्टिक के डिब्बे मे डालकर प्रत्येक डिब्बो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द कर उस पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–773 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में पोलिपैक पाउच के साथ लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–773 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री अब्दुल एजाज पुत्र अब्दुल अजीज ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/309 दिनांक 1.12.2017 से ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 823/FSSA/Kota/Act/2017/934 दिनांक 22.11.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय की गयी, खाद्य पदार्थ **नमकीन (श्री स्वास्तिक गोल्ड) 200 ग्राम पॉलिपेक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स लक्की किराना स्टोर, छीपाबडौद रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ से पत्रांक 329 दिनांक 26.12.2017 से सूचना चाही गई। मैसर्स लक्की किराना स्टोर, द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञापत्र व क्रय बिल की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 13.07.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी क्रम 1 ता 2 को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया जाकर, प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **नमकीन (श्री स्वास्तिक गोल्ड) 200 ग्राम पॉलिपेक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच में **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी क्रम उत्पाद नमकीन (श्री स्वास्तिक गोल्ड) के विक्रेता एवं अप्रार्थी क्रम 02 निर्माता कमपनी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां ने नमकीन (श्री स्वास्तिक गोल्ड) उत्पाद में मिलावट एवं मिथ्या छाप के शक के आधार पर दिनांक 12.10.2017 को लिये गये नमूनों की खाद्य विश्लेषक कोआ की जांच दिनांक 22.11.2017 के आधार पर धारा 26 उपधारा 2(11) FSS Act 2006 एवं विनियम 2011 के आधार पर प्रस्तुत किया गया परिवद मिथ्या आधारों पर आधारित होने से निरस्तनीय है। परिवादी द्वारा उक्त परिवाद धारा 2 की उपधारा 11 के तहत पेश किया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत नही आता है, जो निरस्तनीय है।

खाद्य निरीक्षक ने एफ.एस.एस एक्ट के महत्वपूर्ण आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर विधिक प्रक्रिया अपनाये बगैर गलत तथ्यों पर यह परिवाद अप्रार्थी क्रम 01 व 02 के विरूद्ध सम्मानीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। सम्पूर्ण परिवाद गलत है एवं स्वीकार नही है।

यह कि परिवादी द्वारा अप्रार्थीगण को कभी भी जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नही करवायी गई है। फिर भी हम अप्रार्थीगण यह मानते है कि हमारा उत्पाद समस्त मानकों पर उत्तम है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमकीन (श्री स्वास्तिक गोल्ड) का लिया गया नमूना एवं लिये गये नमूने की पैकिंग एवं नमूने के रखरखाव की सुरक्षा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.4–1 प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार न होने से परिवाद निरस्तनीय है।

यह कि नमूने का विश्लेषण करने वाली प्रयोगशालायें फूड सेफ्टी एवं स्टेण्डर्ड लेबोरेट्री कोटा नेशनल एक्क्रेडिटेशन बोर्ड से टेस्टिंग एड केलिब्रेशन का विश्लेषण करने बाबत मान्यता प्राप्त नहीं है। फूड सेफ्टी एवं स्टेण्डर्ड लेबोरेट्री कोटा की जांच रिपोर्ट दिनांक 22.11.2017 में खाद्य पदार्थ नमकीन (श्री स्वास्तिक गोल्ड) को मिस ब्राण्डेड माना है, जबकि उक्त जांच लेब्रोरेट्री इस प्रकार के नमूनों की जांच के लिये किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही है तथा किसी भी रूप में साक्ष्य में ग्राहय दस्तावेज नहीं होते हुये भी अप्रार्थी के विरूद्ध एफ.एस.एस एक्ट की धारा 26 (ा) का उल्लंघन मानकर परिवाद पेश किया जो साक्ष्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के विधि प्रावधानों से असंगत होने से कार्यवाही बन्द किये जाने बाबत है।

यह कि जांच लेबोरेट्री Food Safety & Standard Laboratory, M.B.S Hospital Campus, Kota खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के अन्तर्गत बतायी गई लेबोरेट्रीमें नही होने से उक्त जांच रिपोर्ट मान्य नहीं होने के कारण प्रस्तुत परिवाद निरस्तनीय है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल का लिया गया तरीका अधिनियम के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से प्रस्तुत परिवाद निरस्तनीय है।

यह कि परिवादी को जब इन तथ्यों की जानकारी हुई कि लिया गया सैम्पल सम्पूर्ण मानकों पर अति उत्तम एवं श्रेष्ठ पाया गया है तब भी जानबुझकर परिवादी द्वारा बिना किसी वैध एवं युक्तियुक्त आधार के हम अप्रार्थी को जैरबार व परेशान करने की गरज से उक्त परिवाद मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जो खारिज होने योग्य है। जिन आधारों पर परिवादी प्रस्तुत करना बताया गया है वह आधार अप्रार्थी क्रम 01 व 02 के विरूद्ध किसी भी रूप में मान्य नही है। अतः जवाब परिवाद कार्यवाही पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध की गयी कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जावें।

इसके विपरीत प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 823/FSSA /Kota/Act/2017/934 दिनांक 22.11.2017 से असन्तुष्ट थे, तो अप्रार्थी क्रम 1 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नही करवायी गई है।

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **नमकीन (श्री स्वास्तिक गोल्ड) 200 ग्राम पॉलिपेक** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत प्रत्येक अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 2 को 10,000/— 10000/—रूपये की जुर्माना राशि, प्रकरण मे कुल जुर्माना राशि 20,000/— रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई—मित्र सेवाकेन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.10.24 14:57:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: